

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 28 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 13

1. देवीलाल पुत्र पंछीराम जाति मेघवाल निवासी चक 23 ए(ए) तहसील व जिला अनूपगढ़
2. बिशनाराम पुत्र पंछीराम जाति मेघवाल निवासी चक 23 ए(ए) तहसील व जिला अनूपगढ़
3. रामुराम पुत्र पंछीराम जाति मेघवाल निवासी चक 23 ए(ए) तहसील व जिला अनूपगढ़
4. सोनुराम पुत्र पंछीराम जाति मेघवाल निवासी चक 23 ए(ए) तहसील व जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज.

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. श्री साहबराम, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 13.05.2024 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक चक 23ए ए के प.नं. 322/450 कि.नं. 21/2, 22/1, 23/2, 24/1, 25/1 प्रत्येक की 0.025 है. कुल 0.125 है. गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थीगण को भूमि से बेदखल करने व अप्रार्थी पर भू राजस्व की 50 गुणा शास्ति अधिरोपित की गयी है के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलार्थीगण अधिवक्ता व प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता न तो मंजूर है ना ही मौका पर रास्ता चालू है इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया है। आलौच्य आदेश विधिविपरीत है। अपीलार्थी के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.05.2024 को आवेदन पेश किया गया था जिस पर दिनांक 14.06.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की गयी है, जानबूझकर देरी नहीं की है। इसलिए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। चक 23ए ए के मु. नं. 322/450 कि.नं. 16 ता 19 का 4 बीघा व कि.नं. 20 में 0.16 बिस्वा कि.नं. 21 में 0.16 बिस्वा कि.नं. 22 ता 25 4 बीघा इस प्रकार कुल 9.12 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता पंछीराम, मनीराम व किरताराम के नाम आवंटित हुई थी जिसकी सनद दिनांक 15.09.1990 को जारी हो चुकी है। भूमि पर अपीलांट का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत या चालू नहीं है, यदि कोई रास्ता स्वीकृत किया भी है तो अपीलांट को नहीं सुना गया है। उक्त मु.नं. के कि.नं. 20,21 में 4-4 बिस्वा रास्ता पहले से ही स्वीकृत है व चालू है, कि.नं. 22 ता 25 में कभी भी रास्ता नहीं चला न ही स्वीकृत है, न ही स्वीकृत करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी की भूमि में कोई रास्ता नहीं है, फिर भी प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को भूमि से बेदखल किये जाने का विधिविरुद्ध आदेश पारित किया गया है। आलौच्य आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया।



जिला कलक्टर
अनूपगढ़

3. प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है इसलिए उनके विरुद्ध राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत कार्यवाही की गयी है जो विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है जबकि अपीलार्थी को आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पटवार हल्का, 22ए ए को जारी बेदखली आदेश दिनांक 13.05.2024 की प्रमाणित प्रति पर तारीख प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 एवं तारीख नकल देने 14.06.2024 अंकित है। अपीलार्थी के द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2024 को प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।
5. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि देवीलाल, किसनाराम, रामूराम, रितु, सिलोचना देवी, सोनूराम पि0 पंछीराम के द्वारा अपीलाधीन भूमि गै.मु. रास्ता पर तारबंदी अतिक्रमण कर लिया है प्राप्त होने पर प्रकरण राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत दर्ज कर देवीलाल आदि को जरिए संयुक्त रूप से नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस अपीलार्थी सोनूराम पर तामील हुआ। सोनूराम ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के द्वारा गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अपीलाधीन भूमि पर उनका कब्जा विधिसंगत प्रमाणित हो। राजकीय भूमि पर से अतिचारियों की बेदखली हेतु तहसीलदार सक्षम है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण है। न्यायालय की मत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलकत्ता I.A.S
अनूपगढ़
कलकत्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़